5/10/23 पक्षकारगण द्वारा प्रार्थी वकील व वादी उपस्थित आये। वादी वकील ने एकपक्षीय पेश किया कि पक्षकारान का लोक अदालत की मार्फत से समझौता होगया है इस कारण प्रकरण इसी स्तर पर निस्तारित कराना चाहते हैं अतः प्रकरण प्रेरण निस्तारित किया जाता है प्रकरण की पत्रावली में मुकदमा नम्बर सही होना स्वीकार किया है पहचान की अंकित कर निकाल लिया जावे। अतः प्रकरण इसी स्तर पर निस्तारित किया जाता है प्रकरण दिनांक मुताबिक कार्य समिति तामील आदेश मालूम।

PM/19-20/3778

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०